न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्याम सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

अपील संख्या 87/2021
निर्णय दिनांक 24.12.2021

1. रामलाल पुत्र श्री ग्यारसा
2. पांची देवी पत्नि मूल्या
3. भौरीलाल पुत्र मूल्या
4. पूजा पुत्री मूल्या नाबालिग जरिये संरक्षिका माता पांची देवी
5. तीजा देवी पत्नि ग्यारसा
   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम नांगलपूरण, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

..... अपीलार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामनारायण मृतक दौराने दावा
   1/1 नाथी देवी पत्नि स्व. श्री जगदीश
   1/2 श्योजी पुत्र स्व. श्री जगदीश
   1/3 शंकर पुत्र स्व. जगदीश
   1/4 भौरीलाल पुत्र स्व. जगदीश
   1/5 धन्नाराम पुत्र स्व. जगदीश
   1/6 रामावतार पुत्र स्व. जगदीश
2. श्योराम पुत्र श्री रामनारायण
3. मोहरू पुत्र रामनारायण
   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम नांगलपूरण, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
4. महादेव पुत्र किशना जाति मीणा, निवासी ग्राम हणुतिया, तहसील निवाई, जिला टोंक, राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

.....रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 04.02.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 219/2015 उनवान रामलाल बनाम जगदीश व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:–निर्णय–:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर द्वारा वाद पत्र संख्या 219/2015 बउनवानी रामलाल बनाम जगदीश व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 04.02.2021 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत घोषणा एवम् स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नंबर 70, 103, 270, 272, 273 व 366 कुल किता 6 कुल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

रकबा 3.20 हैक्टेयर ग्राम भवानीपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है इसमे से 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि ही विवादित है। वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नंबर 19, 81 व 97 थे तथा उससे भी पूर्व संवत् 2004 से 2023 में उक्त भूमि के खसरा नंबर 20 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 22 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 128 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 140 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नंबर 164 रकबा 1 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा थे जो संवत् 2004 से 2023 की खतौनी बंदोबश्त में छाज्या पुत्र बिरधा कौम मीणा निवासी नांगलपूरण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। इसके पश्चात् एकीकरण के दौरान खसरा नंबर 20 व 140 तो सही नाम लगे तथा खसरा नंबर 22, 128 व 164 के नये खसरा नंबर 19, 81 व 91 बने जो राजस्व रिकॉर्ड में रामनारायण, किशना पुत्रान भैरू के नाम दर्ज कर दिये गये जो कि पूर्णतया गलत तरीके से दर्ज कर दिये गये इनमें से खसरा नंबर 19 के नये नंबर 70 व 103 सम्पूर्ण तथा खसरा नंबर 91 के नये नंबर 366 संपूर्ण तथा खसरा नंबर 81 के नये नंबर 270, 272, 273 में से 17 ऐयर वादीगण की है जबकि उक्त भूमि पर आज भी वादीगण काबिज काश्त है। वादीगण राजस्थान काश्तकारी कानून लागू होने के पूर्व से ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा काफी समय से अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। कुछ दिनों पूर्व प्रतिवादीगण ने मौके पर आकर वादीगण से कब्जा लेने का प्रयास किया इस पर वादीगण ने पूछा तो प्रतिवादीगण ने बताया कि उक्त भूमि रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है इसलिए आराजीयात पर कब्जा करेगे। इस पर वादीगण ने तहसील कार्यालय से रिकॉर्ड तलाश किया तो पता चला कि प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त भूमि अपने नाम लगवा ली है, सारा रिकॉर्ड तलाश कर जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण ने वादीगण से कहा कि हम जल्दी ही रिकॉर्ड को दुरूस्त कराकर आपके नाम जमीन लगवा देगे। प्रतिवादीगण उसके बाद से लगातार टाल रहे है किन्तु कुछ दिन पूर्व प्रतिवादीगण ने रिकॉर्ड दुरूस्ती से साफ इंकार कर दिया एवम् आराजीयात पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। इस कारण वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित कर, अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 70, 103 व 166 सम्पूर्ण एवम् खसरा नंबर 270, 272 व 273 में से 15 ऐयर कुल 197 ऐयर अर्थात 7 बीघा 18 बिस्वा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजी किसी भी अन्य को रहन, दान, बेचान इत्यादि नहीं करें। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर अभिभाषक उभयपक्षकारान् की बहस सुनकर, बाद बहस मनन दिनांक 04.02.2021 को निर्णय पारित कर, वाद में वाद हेतुक उत्पन्न न होने से, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार कर, वादी वाद खारिज किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में अपीलार्थी/वादी का वाद, वाद हेतुक उत्पन्न न होने के आधार पर, खारिज किया जाना वर्णित किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद हेतुक उत्पन्न होने की दिनांक व कारण स्पष्ट वर्णित किया है। वाद हेतुक का निर्धारण विधिनुसार वाद में तनकीयात कायम कर, साक्ष्य के आधार पर किया जाता है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र अनुसार ही वाद हेतुक उत्पन्न न होना मानकर, वादी वाद विधिविरूद्व खारिज किया है। रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में अपीलार्थी/वादी द्वारा वाद 60 वर्ष पश्चात् वाद पेश करने से, वाद मियाद बाहर होने के आधार पर, वाद खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा था जिस अनुतोष को अधिनस्थ न्यायालय ने अनुचित रूप से विधि के विपरीत अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से, स्वीकार किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनुसार घोषणा के वाद प्रस्तुत करने के लिए मियाद की कोई बाध्यता नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने वाद एवम् वाद के संलग्न दस्तावेजात् पर ध्यान न देकर अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2021 खारिज किये जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अभिभाषक अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुए निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजीयात पर पिछले करीब 60 वर्षो से रेस्पोडेन्ट के पूर्वज काबिज काश्त है एवम् उक्त तथ्य अपीलान्ट्स की जानकारी में प्रारम्भ से ही है। अपीलान्ट ने वाद प्रस्तुति से पूर्व कभी भी इस हेतु कोई उज्र नहीं उठाया। रेस्पोडेन्ट्स के आराजीयात पर 60 वर्ष से अधिक अवधि से काबिज होने से, खातेदारी अधिकार निहित हो चुके है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स का वाद, वाद हेतुक उत्पन्न न होने एवम् बार्ड बॉय लॉ होने से, विधिनुसार खारिज किया है जिसके लिए वाद में तनकीयात कायम कर, सुनवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जावे।

4. अभिभाषक उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ में यह अंकित किया गया था कि प्रश्नगत आराजी संवत् 2004 से 2023 की बंदोबश्त खतौनी के अनुसार वादीगण/अपीलान्ट्स के पूर्वज छाज्या पुत्र बिरदा के नाम रिकॉर्डेड थी जिस पर वे काबिज काश्त है। वादी के उक्त वाद का जवाब प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत हुआ, जिसके पैरा नंबर 2 में प्रतिवादी द्वारा यह तथ्य अंकित किया गया है कि संवत् 2004 से 2023 में उक्त भूमि छाज्या पुत्र बिरदा के नाम दर्ज हो जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। जबकि इस सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा वाद के साथ खतौनी एकीकरण जमाबंदी संवत् 2004 से 2023 की नकलें प्रस्तुत की गई है जिससे प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ में छाज्या पुत्र बिरदा के अंकन की पुष्टि होती है। अतः उक्त रिकॉर्ड से वादी के वाद प्रस्तुत करने का कारण स्पष्ट होता है। इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं पर इस न्यायालय द्वारा कोई विवेचन इसलिए नहीं किया जा रहा है कि क्योकि वाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचित किया जाना है।

उपरोक्त विवेचित बिन्दु से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने का कारण स्पष्ट हो जाने से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी संधारणीय नहीं रहता था, जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी

अतिरिक्त अपील प्राधिकारी
जयपुर

स्वीकार करते हुए जो वादी का वाद संधारणीय नहीं रहने के सन्दर्भ में निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2021 पारित किये गये है, वह त्रुटिपूर्ण प्रतीत होने से निरस्त किये जाते है एवम् प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ पुनः प्रेषित किया जाता है कि वाद में साक्ष्य सबूत प्राप्त कर, तनकीयात कायम कर, वाद का विधिवत् निस्तारण पुनः करें। तद्नुसार अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

5. निर्णय आज दिनांक 24.12.2021 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर